संख्या-237/2017/61/22-2-2017-17(06)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चितरंजन पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद- मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197213/पर-2/सलाहकार समिति(एम0 22-12-2016) दिनांक-03-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चितरंजन पुत्र श्री हरी सिंह निवासी-मकान नं०-174 सोतीगज, थाना-सदर बाजार, जनपद-मेरठ का निवासी है। लाटरी खेलने व शराब की लत के कारण अपनी सारी सम्पत्ति बेचने के बाद घर बेचने का विरोध करने पर बन्दी ने दिनांक 22.09.1997 को दोपहर लगभग 12:00 बजे अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-249/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 09.11-1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2016 तक 19 वर्ष 02 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, बन्दी द्वारा अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर व आग लगाकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु 57 वर्ष है भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी की स्वास्थय की दशा संतोषजनक होने के कारण पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक् दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है लाटरी खेलने व शराब की लत के कारण अपनी सारी सम्पत्ति बेचने के बाद घर बेचने का पत्नी द्वारा विरोध करने पर बन्दी ने दिनांक 22.09.1997 को दोपहर लगभग 12:00 बजे अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर व आग लगा कर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा किये गये विरोध तथा मा० न्यायालय के अभिमत के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चितरंजन पुत्र श्री हरी सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-26034(एम0/बी0)/2016 चितरंजन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी चितरंजन (बन्दी संख्या-5021) पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-237/2017/61(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।